

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव
को संबोधित किया जाए किसी
अन्य अधिकारी के नाम से नहीं।
संबंधित विषय में यदि पूर्व से
पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसके
क्रमांक और दिनांक का
अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना
चाहिए, अन्यथा कार्यवाही करने
में कठिनाई होगी।

फैक्स : 0761-2603752
दूरभाष : कार्यालय : 2600785
निवास : 2602600
पी.ए.बी.एक्स. : 2600567, 68, 69

क्रमांक/एस.सी.एस.टी.सेल/2018/133

जबलपुर, दिनांक : 23/6/18

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कार्यालय आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय: सी.एम.हेल्पलाईन में अलर्ट नोटिफिकेशन में चाही गई जानकारी बावत।

संदर्भ: कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, का पत्र क्रमांक 1597/165/आउशि/संबंधिता/18 भोपाल
दिनांक 29.05.2018.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित सी.एम. हेल्पलाईन में अलर्ट नोटिफिकेशन के संबंध में लेख है कि चूंकि शिकायतकर्ता छात्र श्री राधेश्याम ठाकुर नर्मदा शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर- का छात्र है तथा कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जबलपुर के पत्र क्रमांक 2309/आ.सहा./जा.जा.का.वि./17-18 दिनांक 23.1.18 के आदेशानुसार नर्मदा शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के संबंधित छात्रों के आवास सहायता योजना के अंतर्गत समस्त प्रकरणों को निराकृत/स्वीकृत करने हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)

अतः प्रकरण का निराकरण प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा ही किया जाना है।

कृपया उक्तानुसार अवगत होना चाहें।

(डॉ. बी. भारती)
कुलसचिव

जबलपुर, दिनांक : 23/6/18

पृ.क्र./एस.सी.एस.टी.सेल /2018/133

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्राचार्य, नर्मदा शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर।
2. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर।
3. कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास विभाग, जबलपुर।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जबलपुर।

कुलसचिव